23/11/21 अपीलार्थी अनुपस्थित। पत्रावली के संलग्न अभिलेख
व लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार (मुख्यालय)
कौशाम्बी) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया।
लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक सीडीटी/2021/214
दिनांक 22.9.2021 से अवगत कराया कि वांछित
सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण
अपीलार्थी को नहीं दी जा सकी। पत्रावली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	का अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्रांक प.3.(22) प्र०सु०/सू०अप्र/08 दिनांक 02.02.2009 के पैरा 3 के अनुसार नागरिकों को लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकारी के पास है या उसके नियन्त्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा टिप्पणी के साथ संलग्न पत्रांक रीडर/2020/03 दिनांक 26.2.04 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति व लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुदा होकर शामिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी